संख्या 1001 / 54–1–11–8(5) / 2011

प्रेषक,

संजय कृष्ण,
संयुक्त सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद– अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, औरैया , आजमगढ़, बदायूँ, वाराबंकी,बरेली, बस्ती, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद,गाजीपुर, गौरखपुर, हरदोई, हाथरस, जे0पी0 नगर, कन्नौज, कानपुर नगर,कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर– खीरी, मैनपुरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद,मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सन्त कबीरनगर,सन्त रविदासनगर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर ,उन्नाव ,बांदा,चित्रकूट,हमीरपुर, जालौन, झांसी, आगरा, इलाहाबाद, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बिजनौर,चंदौली, इटावा,फरूखाबाद, गोण्डा, जौनपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, महराजगंज, मथुरा, मऊ, पीलीभीत, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, वाराणसी, ललितपुर तथा महोबा।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 29 सितम्बर, 2011

विषयः समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) योजना के अभिलेखों के सी0एण्ड ए0जी0 से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से लेखा परीक्षण कराये जाने विषयक निर्देश।

महोदय,

भारत सरकार के पत्र संख्या–2 / यूपी / 2010–11–आईडब्ल्यूएमपी दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के लेखा अभिलेखों को सी0एण्ड ए0जी0 से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराने के निर्देश के कम में निम्नवत् निर्देश प्रसारित किये जा रहें हैं :–

1– समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम का परियोजनावार आडिट सम्पन्न कराया जायेगा ।

2– चार्टेट एकाउन्टेन्ट द्वारा वाटरशेड प्रबन्धन कमेटी, परियोजना कार्यदायी संस्था एंव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अभिलेखों का सम्प्रेक्षण करते हुये अलग–अलग सम्प्रेक्षण रिपोर्ट जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को प्रस्तुत की जायेगी एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (जिला डाटा सेल) सम्प्रेक्षण रिपोर्ट एवं अन्य संबंधित अभिलेख प्रतिहस्ताक्षरित कर स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायेगें ।

Programmer
For website
30/9.

Allotment

114 / DS
30-9-11

3– वाटरशेड प्रबन्धन कमेटी , परियोजना कार्यदायी संस्था एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वास्तविक व्ययों की ही सम्प्रेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये अग्रिम के रूप में व्यय की धनराशि को वास्तविक व्यय से सम्मिलित न किया जाये ।

4– प्रत्येक स्तर पर संचालित परियोजना फण्ड खाते पर प्राप्त ब्याज का उल्लेख सम्प्रेक्षण रिपोर्ट में अलग–अलग किया जाय ।

5– उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सम्प्रेक्षण रिपोर्ट जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के प्राधिकृत अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित करते हुये स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत किया जायेगा । उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सम्प्रेक्षण रिपोर्ट एक दूसरे के समरूप होना चाहिये ।

6 भारत सरकार द्वारा निर्गत कामन गाइड लाइन 2008 के प्राविधानों एवं भारत सरकार एवं स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा निर्गत निर्देशों के विचलन के संदर्भ में वाटरशेड प्रबन्धन कमेटी , पीआईए एवं जिला गाम्य, विकास अभिकरण हेतु अलग से सम्प्रेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जायें तथा उसकी अनुपालन आख्या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से स्टेट लविल नोडल एजेन्सी उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रेषित की जाये ।

7– सम्प्रेक्षण रिपोर्ट में मदवार व्यय विवरण (प्रशासनिक व्यय , ई0पी0ए0 , सी0बी0 ,डी0पी0आर, वाटरशेड व्यय, लिवलीहुड प्रशिक्षण पर व्यय ,प्रोडक्शन सिस्टम एण्ड माइक्रो इण्टरप्राइजेज आदि) ,बैलेंश शीट आय–व्यय का विवरण , प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण, बैंक समाधानीकरण, तैयार किया जायेगा ।

8– आडिट रिपोर्ट चार प्रतियों में मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी ।

9– मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा दो प्रतियों में आडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक यू0सी0, प्रति हस्ताक्षरित करके मुख्य कार्यकारी अधिकारी , स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी , भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी ।

भवदीय,

(संजय कृष्ण)
संयुक्त सचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या 1001 (1)/54-1-11-8(5)/2011 दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 मेसर्स धवन एण्ड मदन,प्रथम तल हिमांशु सदन, 5पार्क रोड, लखनऊ
2 मे0गुप्ता एण्ड साह,120/564 शिवाजीनगर,कानपुर
3 जायसवाल बृजेश एण्ड कम्पनी सिद्वार्थ काम्प्लेक्स सिंगरा महमूरगंज वाराणसी
4 एस0एन0 कपूर एण्ड एसोसिएट–311 विनय पैलेस 11 अशोक मार्ग, लखनऊ
5 पी0एस0 भार्गव एण्ड कम्पनी, 8 ब्लन्ट स्क्वायर(दुर्गापूरी) लखनऊ
6 मे0डी0पाठक एण्ड कम्पनी,23/4क,गोखलेमार्ग,लखनऊ
7 मे0के0डी0शुक्ला एण्ड कम्पनी,111ए/185पत्रकार भवन,अशोक नगर,कानपुर
8 मे0अनूप अगवाल एण्ड कम्पनी,14साकेत नगर,लच्छीपुर, गोरखनाथ,गोरखपुर
9 मे0सिंह अग्रवाल एण्ड एसोसियेट,अक्षट प्रथम तल कारपोरेशन बैक विल्डिग,30अशोक मार्ग,लखनऊ
10 मे0पाण्डेय एण्ड कम्पनी,24/24कराची खाना,कानपुर
11 मे0आर0एम0लाल एण्ड कम्पनी,4/10 विशालखण्ड,गोमतीनगर,लखनऊ
12 मे0संदीप प्रकाश एण्ड कम्पनी,213मुरलीभवन,10ए,अशोक मार्ग,लखनऊ
13 मे0भार्गव एण्ड कम्पनी,16 जांहगीराबाद,मेन्सन,हजरतगंज,लखनऊ
14 मे0अरसान एण्ड कम्पनी,110 प्रथम तल अंशल सिटी सेन्टर,तुलसी सिनेमा के पीछे हजरतगंज,लखनऊ
15 मे0हबीबुल्लाह एण्ड कम्पनी,एच0बी0 हाउस,10पार्क रोड,गोरखपुर
16 मे0वी0जे0एसोसियेट,5बी,एण्ड 6ए प्रथम तल,सीडी ब्लाक दिलीपपुर टावर,6सप्रुमार्ग,लखनऊ
17 मे0गिरीश गुप्ता एण्ड एसोसियेट 3/56ए विशनुपुरी,कानपुर
18 मे0एस0श्रीवास्तव एण्ड कम्पनी,1/12 विवेकखण्ड,गोमतीनगर,लखनऊ
19 मे0अग्रवाल एण्ड सक्सेना,511सिटी सेन्टर,मऊ रोड कानपुर
20 मे0मित्तल एण्ड गुप्ता कम्पनी 302 चिन्टल हाउस,16स्टेशन रोड लखनऊ
21 शशि एण्ड कम्पनी 48एफ/105 पुनीत वरीन्दावन, सजय पैलेस आगरा
22 मे0एस0के0कपूर एण्ड कम्पनी,यू0जी0–34,पालिका बाजार कपूरथला अलीगंज,लखनऊ

23– डा0 सविता आनन्द, संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, सीजीओ काम्प्लेक्स, 11वॉ ब्लाक, छठा तल,नई दिल्ली।
24– विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
25– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
26– मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं संबंधित जनपद को इस आशय से कि संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराते हुए आडिट करवायें तथा आडिट व्यय का भुगतान प्रशासनिक मद से कराना सुनिश्चित करें।
27– प्रशासक, शारदा सहायक/रामगंगा कमाण्ड, लखनऊ/कानपुर।
28– समस्त उपनिदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी को उनके प्रशासक के माध्यम से प्रेषित।
29– प्रशासनिक अधिकारी , एस0एल0डी0सी0 प्रभारी, 23–सी, गोखले मार्ग, लखनऊ